

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:- किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

2- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यथा-पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना का विस्तार एवं क्षमतावर्द्धन किया जा रहा है।

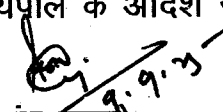
3- वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में कुल 13 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 20 जिलों में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त विषयांकित 7 (सात) जिलों में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के स्थापना की घोषणा की गई है।

4- उपरोक्त के आलोक में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.09.2025 में मद संख्या-32 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

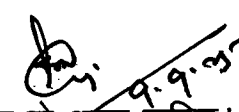
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शंभु शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/बजट-46-28/2025-26- 292(7)/स्वा0, पटना, दिनांक- 02/09/2025

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

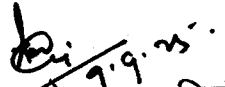

सरकार के अपर सचिव।
Kumy

ज्ञापांक:-7/बजट-46-28/2025-26- 292 (7)/स्वा0, पटना, दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.09.2025 में मद संख्या-32 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 1 एवं 7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Kum